an>

Title: Need to ensure mandatory 27% reservation in jobs and educational institutions to people belonging to Other Backward Classes in the country particularly in Maharashtra.

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : महोदया, देश में भारतीय संविधान की धारा 340 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) पूवर्ग के लिए आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक अधिकार हैं। ओबीसी, इस पिछड़ा वर्ग के समाज को मंडल आयोग के अनुसार 27 फीसदी आरक्षण का हकदार होने पर भी केन्द्र सरकार से आरक्षण उपलब्ध कराने में अनदेखी हो रही है। 27 फीसदी आरक्षण होने के बावजूद भी देश में ओबीसी समाज के लिए 19 फीसदी आरक्षण देने के सरकारी रिकार्ड दर्ज हैं। इससे ओबीसी समाज को पूरी तरह आरक्षण का लाभ नहीं देने की बात सामने आयी है। शैक्षणिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को प्रवेश, डोमिसाइल, क्रीमी लेअर आदि प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने में पर्याप्त आरक्षण एवं अन्य सुविधा ना देने से उन पर अन्याय हो रहा है। गत 6 वर्ष से महाराष्ट्र के विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति अनुदान राशि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। उसके परिणामस्वरूप लाखों विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान होकर भविष्य खराब हुआ है। सरकारी नौकरी में पदोन्नति संबंधी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। महाराष्ट्र के गड़चिरौली जिले में ओबीसी समाज को 6 फीसदी आरक्षण दिया जाता है। इस तरह देश में कई राज्यों में ओबीसी समाज पर अन्याय हो रहा है। वर्ष 1931 से अभी तक इस समाज की जनगणना नहीं होने से उनका विकास नहीं हुआ है। इसलिए इस अन्यायग्रस्त पिछड़े वर्ग के ओबीसी समाज को संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने के लिए स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित करके केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्रता से कार्यवाही कराने की आवश्यकता है।...(व्यवधान)